RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-04
April-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

# उज्जैन जिले की माल सड़क परिवहन व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन– कृषक संतुष्टि के विशेष सन्दर्भ में

विनोद कुमार देवड़ा

*पीएच.डी. शोधार्थी, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)*

**ARTICLE DETAILS**

**Article History**
*Published Online:* 02 April 2018

**Keywords**
माल–सड़क–परिवहन–व्यवस्था, कृषि–उपज–विपणन, कृषक–संतुष्टि।

**ABSTRACT**

उज्जैन जिले में कृषकों को कृषि उपज के विक्रय हेतु एवं कृषि आदानों की पूर्ति हेतु माल सड़क परिवहन व्यवस्था के उपयोग की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य के लिए परिवहन सुविधा के विकास हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर्स की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। माल की उपज में वृद्धि के साथ परिवहन हेतु वाहनों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत शोध में विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सड़कों के प्रति कृषकों की संतुष्टि संबंधी अभिमत से पता चलता है कि अधिसंख्य कृषक माल सड़क परिवहन व्यवस्था के अधिकतम पहलुओं के प्रति संतुष्ट है तथा समय पर उपज परिवहन के लिए साधन सुलभ होने के प्रति भी कृषक संतुष्टि भी सकारात्मक है फिर भी उपज विक्रय के दौरान किसानों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें मुख्यतः बढ़ता किराया व ईंधन का मूल्य, सड़कों के रखरखाव की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, उपज निलामी व तुलाई में देरी आदि समस्या है अतः सम्यक समाधान हेतु परिवहन व्यवस्था में समुचित सुधार आवश्यक है।

## प्रस्तावना –

भारत का परिवहन क्षेत्र व्यापक और विविध है। यह लगभग 1.25 अरब से अधिक आबादी को यातायात सुविधा उपलब्ध करवाता है। सड़के राष्ट्र के शरीर में रक्त संचरण तन्त्र की तरह कार्य कर रही है। विगत कुछ दशकों से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने परिवहन अवसंरचना और सेवाओं की मांग में वृद्धि देखी गयी है जिसकी पूर्ति हेतु एवं देश के आर्थिक विकास के लिए सुगम, सुचारू एवं व्यवस्थित परिवहन प्रणाली का विस्तार आवश्यक है। परिवहन व्यवस्था का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। परिवहन को तीन भागों में बांटा गया है – थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। पुनः थल परिवहन को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है – सड़क परिवहन, रेल परिवहन एवं आंतरिक जल परिवहन। सड़क परिवहन में यात्री परिवहन एवं माल परिवहन सुविधा मिलती है।

देश के सर्वांगीण विकास में सड़क मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। देश में सड़क मार्ग गत वर्ष तक लगभग 56.03 लाख कि.मी. क्षेत्रफल में उपलब्ध है।[1] वृहत् क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या के कारण पर्याप्त एवं समुचित सड़क परिवहन व्यवस्था विकसित हो रही है।

वर्तमान में उज्जैन जिले में भी सड़क परिवहन व्यवस्था का विकास एवं विस्तार हो रहा है। जिले के विकास हेतु न केवल नगरीय क्षेत्र अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात नेटवर्क विकसित हो रहा है। ''2012–13 में सकल परिवहन क्षेत्र ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत योगदान दिया जिसमें सड़क परिवहन का बड़ा हिस्सा था।''[2] ग्रामीण परिवहन का विकास बाजारों तक पंहुच में सुधार और गरीबी कम करने में भूमिका निभाता है। परिवहन सेवाऐं और विनिर्माण उद्योग विशेष रूप से प्रमुख शहरी क्षेत्रों के आसपास केन्द्रीत है तथा ग्रामीण कृषकों एवं श्रमिकों को आने–जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा की आवश्यकता है साथ ही परिवहन श्रृंखला उत्पादन एवं उपभोग के बीच में सेतु का कार्य कर रही है।

उज्जैन जिले का आर्थिक विकास कृषि पर अधिक निर्भर है। जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 65.85 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध कृषि क्षेत्र है। शुद्ध कृषि क्षेत्र का 37.15 प्रतिशत द्वि–फसली क्षेत्र है। उज्जैन जिले में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत खाद्यान्न (गेहूँ, धान, ज्वार तथा मक्का), दलहन (चना, तुअर व उड़द), तिलहन (तिल, अलसी, मूँगफली, राई/सरसों तथा सोयाबीन) का प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। उपज का सर्वाधिक हिस्सा जिले की विभिन्न मण्डियों में विक्रय के लिए सड़क मार्ग के माध्यम से मण्डियों तक ले जाया जाता है। उज्जैन जिले में सन 2010–11 तक कुल 1410.15 कि.मी. पक्की सड़के एवं 69.21 कि.मी. कच्ची सड़के है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 2010–11 में 3,383 बड़े माल वाहन एवं 36,360 ट्रैक्टर, ट्रेलर आदि हल्के माल वाहन पंजीकृत हुए है। 2014–15 में क्रमशः बढ़कर 6,043 एवं 48,450 हो गये।[3] इस प्रकार जिले की सड़कों की लम्बाई में वृद्धि एवं माल वाहन की बढ़ती संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि जिले में सड़क परिवहन व्यवस्था विकासशील अवस्था में है।

## शोध के उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उज्जैन जिले में माल सड़क परिवहन सुविधा के प्रति किसानों की संतुष्टि से संबंधित अभिमत ज्ञात कर विश्लेषण करना है तथा असंतोष के कारणों का पता लगाकर समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

## शोध प्राक्कल्पना –

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माल परिवहन व्यवस्था के प्रति कृषक संतुष्ट है।

## शोध क्षेत्र –

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले तक ही सीमित रखा गया है।

**शोध प्रविधि –**

प्रस्तुत शोध को विश्वसनीय परिणाम एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से शोध कार्य से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है एवं जिले के कुल 200 कृषक उत्तरदाताओं से प्राप्त साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर समंकों का विश्लेषण किया गया है तथा जानकारीयां प्रस्तुत की गयी है।

**विषय विस्तार –**

प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में माल सड़क परिवहन व्यवस्था से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का संकलन कर विश्लेषण किया गया है जिसमें गत 5 वर्षों में नये ट्रैक्टर्स के पंजीयन संबंधित जानकारी दी गयी है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ भारी, मध्यम एवं हल्कें माल वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

यहां माल सड़क परिवहन व्यवस्था के माध्यम से कृषि उपज को विपणन केन्द्र तक ले जाने की व्यवस्था के प्रति कृषकों की संतुष्टि का अध्ययन किया गया है इस हेतु विभिन्न राजमार्गों के प्रति कृषकों का संतुष्टि संबंधी अभिमत ज्ञात कर विश्लेषण किया गया है साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ट्रैक्टर्स की संख्या संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक – 1

**उज्जैन जिले में गत पांच वर्षो में हुऐ पंजीकृत ट्रैक्टर्स की संख्या (31 मार्च की स्थिति)**

| पंजीकरण वर्ष | ट्रैक्टर्स |
|---|---|
| **2010–11** | 1871 |
| **2011–12** | 990 |
| **2012–13** | 1630 |
| **2013–14** | 2843 |
| **2014–15** | 4489 |
| **कुल योग** | **11823** |

*स्रोत – क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिला उज्जैन 2015–16*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष ट्रैक्टर्स का नवीन पंजीयन हो रहा है जिससे कुल पंजीयन संख्या बढ़ रही है। बढ़ती हुई ट्रैक्टर्स संख्या से स्पष्ट होता है कि किसानों द्वारा यातायात हेतु माल सड़क परिवहन व्यवस्था का उपयोग बढ़ रहा है।

तालिका क्रमांक – 2

**कृषकों का विभिन्न राजमार्गों के प्रति सन्तुष्टि संबंधी अभिमत का विश्लेषण**

| क्र. | विवरण | सन्तुष्ट | | असन्तुष्ट | | ज्ञात नहीं | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | |
| 1 | राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था के प्रति | 182 | 91.00 | 13 | 6.50 | 5 | 2.50 | 200 |
| 2 | राज्यीय राजमार्ग व्यवस्था के प्रति | 169 | 84.50 | 22 | 11.00 | 9 | 04.50 | 200 |
| 3 | प्रधान मंत्री सड़क व्यवस्था के प्रति | 128 | 64.00 | 48 | 24.00 | 24 | 12.00 | 200 |
| 4 | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रति | 153 | 76.50 | 33 | 16.50 | 14 | 7.00 | 200 |
| 5 | स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित व्यवस्था के प्रति | 97 | 48.50 | 99 | 49.50 | 4 | 2.00 | 200 |
| 6 | ग्राम पंचायत सड़क मार्ग व्यवस्था के प्रति | 68 | 34.00 | 128 | 64.00 | 4 | 2.00 | 200 |
| | **कुल औसत प्रतिशत** | | **66.42** | | **28.58** | | **5.00** | |

*स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर 2014–15*

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले के कृषक उज्जैन जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था से 91 प्रतिशत सन्तुष्ट, 6.50 प्रतिशत असन्तुष्ट है। राज्यीय राजमार्ग व्यवस्था से 84.5 प्रतिशत सन्तुष्ट, 11 प्रतिशत असन्तुष्ट है। प्रधानमंत्री सड़क व्यवस्था से 64 प्रतिशत सन्तुष्ट, 24 प्रतिशत असन्तुष्ट है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 76.50 प्रतिशत संतुष्ट तथा 16.50 प्रतिशत असंतुष्ट है। स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित व्यवस्था से 48.5 प्रतिशत सन्तुष्ट, 49.5 प्रतिशत असन्तुष्ट है। ग्राम पंचायत सड़क मार्ग व्यवस्था से 34 प्रतिशत सन्तुष्ट, 64 प्रतिशत असन्तुष्ट है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क व्यवस्था के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक कृषकगण संतुष्ट है किन्तु स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत सड़क मार्ग व्यवस्था के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट है। अतः यहां कहा जा सकता है कि जिले कि सड़क परिवहन व्यवस्था के प्रति कृषकगण आंशिक रूप से संतुष्ट है।

जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति में भिन्नता है। बड़े कृषक खेती के दौरान एवं उपज विक्रय के समय स्वयं के वाहनों का उपयोग कर आसानी से कृषि कार्य पूर्ण कर लेते है लेकिन मध्यम एवं छोटे किसान कृषि कार्य को पूर्ण करने में किराये के वाहनों का उपयोग करते है, ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार एवं समय पर इन किसानों को वाहन उपलब्ध होते है कि नहीं इसके बारे में चयनित कृषकों सें अभिमत ज्ञात किया गया जो निम्न तालिका में प्रस्तुत है –

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका क्रमांक – 3

**उपज विक्रय हेतु माल परिवहन की सुलभता के संबंध में कृषकों के अभिमत का विश्लेषण**

| क्रमांक | विवरण | हाँ | | नहीं | | कुल उत्तरदाता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| 1 | उपज विक्रय हेतु माल परिवहन की सुलभता | 174 | 87.00 | 26 | 13.00 | 200 | 100.00 |

*स्रोत – शोध सर्वेक्षण से प्राप्त समंक पर आधारित*

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है 87 प्रतिशत कृषकों को उपज बेचने हेतु सरलता से माल वाहन उपलब्ध हो जाते है जबकि 13 प्रतिशत कृषक उत्तरदाताओं का अभिमत है कि माल यातायात हेतु सुगमता से वाहन नहीं मिल पाते है। यहां 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने माल परिवहन वाहन की उपलब्धता में सुगमता बतायी है। अतः कहा जा सकता है कि उपज विक्रय हेतु माल परिवहन की सुलभता के संबंध में कृषक संतुष्ट है।

कृषकों ने बताया कि खेती के व्यस्त सीजन की अवधि में माल परिवहन हेतु वाहनों की मांग बढ़ जाती है ऐसे स्थिति में उन्हें समय पर वाहन सुलभ नहीं हो पाते है साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि शासकीय समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के दौरान उपज मण्डियों में कई दिनों तक माल भारयुक्त वाहनों की लम्बी कतारें लगती है जिससे वाहनों की सुगम पूर्ति में देरी होती है। शहर एवं कस्बों से दूर स्थित ग्रामीण अंचलों में भी माल वाहन की उपलब्धता में कठिनाई होती है फिर भी 87 प्रतिशत अर्थात् आधे से अधिक कृषकों का अभिमत यह है कि माल परिवहन हेतु वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते है।

**प्राक्कल्पना परीक्षण –**

प्राक्कल्पना का परीक्षण करने के लिए तालिका क्रमांक 1, 2, 3 के समंकों का अध्ययन किया गया है। तालिका क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 अवधि में प्रतिवर्ष जिले में कुल कितने ट्रैक्टर्स का पंजीयन किया गया, यहां वर्ष 2010–11 में कुल 1,871 ट्रैक्टर्स का पंजीयन हुआ था जबकि वर्ष 2014–15 में 4,489 का पंजीयन किया गया। इस प्रकार निरंतर ट्रैक्टर पंजीयन में वृद्धि होने से उज्जैन जिले में कृषि माल परिवहन हेतु साधन सुविधा बढ़ रही है।

तालिका क्रमांक 2 में विभिन्न प्रकार के राजमार्गों के प्रति कृषकों की संतुष्टि का अभिमत ज्ञात किया गया जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क व्यवस्था के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक कृषकगण संतुष्ट है किन्तु स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत सड़क मार्ग व्यवस्था के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट है। अतः यहां कहा जा सकता है कि जिले कि सड़क परिवहन व्यवस्था के प्रति कृषकगण आंशिक रूप से संतुष्ट है।

तालिका क्रमांक 3 में उपज विक्रय हेतु माल परिवहन की सुलभता के संबंध में कृषकों का अभिमत ज्ञात किया गया जिसमें चयनीत कृषक उत्तरदाताओं में 87 प्रतिशत ने उपज विक्रय हेतु माल परिवहन को सुलभता से मिलना बताया। इस प्रकार यहां आधे से अधिक कृषक उत्तरदाता माल परिवहन व्यवस्था की सुलभता के प्रति संतुष्ट पाये गये है।

प्रस्तुत शोध में परिकल्पना की गयी थी की ''जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माल परिवहन व्यवस्था के प्रति कृषक संतुष्ट है''। इस परिकल्पना की यहां आंशिक पुष्टि हुई है।

**समस्याऐं एवं समाधान –**

प्रस्तुत शोध कार्य के दौरान कृषकों ने माल सड़क परिवहन व्यवस्था के संबंध में निम्न समस्याऐं बतायी –

**1) कृषि उपज बेचने हेतु समय पर वाहन उपलब्ध न होना –** कृषकों ने बताया कि खेती के व्यस्त सीजन की अवधि में माल परिवहन हेतु वाहनों की मांग बढ़ जाती है ऐसे स्थिति में उन्हें समय पर वाहन सुलभ नहीं हो पाते है साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि शासकीय समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के दौरान उपज मण्डियों में कई दिनों तक माल भारयुक्त वाहनों की लम्बी कतारें लगती है जिससे वाहनों की सुगम पूर्ति में देरी होती है। शहर एवं कस्बों से दूर स्थित ग्रामीण अंचलों में भी माल वाहन की उपलब्धता में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान भविष्य में माल सड़क परिवहन हेतु वाहनों की संख्या मांग के अनुरूप बढ़ने पर हो सकता है।

**2) वाहनों का अधिक किराया –** बड़े किसानों के पास स्वयं का ट्रैक्टर होने से किराया संबंधी समस्या नहीं होती किन्तु छोटें एवं सीमान्त किसानों को आसानी से वाहन सुलभ नहीं होते है। किसान अपनी उपज माल वाहनों से मण्डियों या सोसायटी में विक्रय हेतु ले जाते है। वहां किसानों को अपनी उपज तत्काल नीलाम न होने तथा तुलाई में देरी के कारण लंबे समय तक इंतजार करना पडता है जिसके कारण अतिरिक्त वाहन किराया देना पडता है। यहां समाधान यह है कि किसान द्वारा उपज विक्रय होने के लिए मण्डी स्थल पर उपस्थित होने पर 12 घंटे में तुलाई हो जाना चाहिए इससे अधिक अवधि लगने पर अतिरिक्त भाड़ा कृषि उपज मण्डी द्वारा या क्रेता व्यापारी द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

**3) सड़कों का अनियमित रखरखाव –** सड़कों का निर्माण तो हो जाता है पर कई बार सड़क की भार क्षमता से अधिक वजन के भारी वाहन निकलने से या सड़क निर्माण में प्रयोग की गयी सामग्री में गुणवत्ता में कमी की वजह से सड़के जीर्णशीर्ण हो जाती है। सड़कों की नियमित मरम्मत न हो पाने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। यहां

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

समाधान के लिए सुझाव है कि सड़कों की निरंतर मरम्मत होती रहना चाहिए।

**4) ईंधन का बढ़ता मूल्य –** वाहनों के ईंधन का मूल्य बढ़ने से वाणिज्यिक गतिविधियों में तो सामान्यतः भार वाहन के मालिक किराया बढ़ाकर अपने लाभ में समानता रख लेते है लेकिन किसानों को बढ़ते ईंधन मूल्यों की वजह से फसल के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती इस कारण किसानों को नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान हेतु कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गये डिजल पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है।

**5) उपज परिवहन के दौरान लुट एवं चोरी –** जिले में कई स्थान ऐसे है जहां से रात्रि में वाहन निकले तो वहां वाहनों की लुट एवं माल चोरी की घटना हो जाती है इस वजह से कई किसान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है ऐसी स्थिति में अधिसंख्या किसान अपनी फसलों को स्थानीय मण्डियों में ही बेच कर कम लाभ प्राप्त कर पाते है। इसलिए कृषकों की सुरक्षा हेतु उनके आवागमन मार्ग पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था अधिक चुस्त–दुरस्त होना आवश्यक है।

**उपसंहार –**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण कृषि उत्पादों के विपणन वं शहरी क्षेत्र की खाद्य एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि उपज पर निर्भर है अतः शहरी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों के माध्यम से शहरों से जोडना आवश्यक है। सड़क परिवहन व्यवस्था के विकास द्वारा किसानों को पर्याप्त उपज मूल्य प्राप्त करने के लिए संगठित बाजार उपलब्ध करवाया जा सकता है जहां समय पर अनुकुलता से कृषक अपनी उपज को आसानी से मण्डी में लाकर विक्रय कर सके तथा कृषि आदानों (रासायनिक या जैविक खाद, बीज, खरपतवार नाशक, कीटनाशक आदि) की पूर्ति हेतु समय पर बाजार तक पंहुच सके। उज्जैन जिले में कृषि विकास के लिए सड़क परिहवन व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। जिले में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का विकास व्यापार एवं उद्योगों के लिए जितना हुआ है उतना कृषि के लिए नहीं हुआ। कृषि उपज मण्डियों से सम्पर्क स्थापित करने में सड़क परिवहन का कार्य पूर्णता एवं प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। कृषकों का उचित मूल्य वाले बाजारों से सम्पर्क स्थापित करने एवं शहरी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों का विकास–विस्तार एवं समुचित संधारण आवश्यक है।

**संदर्भ सूची –**


1. https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_road_network
2. Anand Swaroop B. (1996) : "An Overview of Marketing – Its Relevance of STUs', Indian Journal of Transport Management, Vol. 20, No. 9, Sep, 1996, P.55
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, (2015) जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन, पृष्ठ क्र. 55
4. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर एवं नईदुनिया


© RRIJM 2015, All Rights Reserved 